अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 518(अ).—राष्ट्रपति, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"13क. भूतपूर्व राज्यपाल को सचिवीय सहायता.—(1) भूतपूर्व राज्यपाल निजी सहायक के रूप में सचिवीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे जिसे प्रतिपूर्ति किए जाने की अधिकतम 25,000 प्रति मास के पारिश्रमिक के आधार पर भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जा सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति निजी सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य नहीं रखता हो।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक को केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व राज्यपाल के द्वारा अपेक्षित रकम को सामान्य प्राप्ति प्ररूप में आहरित किया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति और ऐसी नियुक्ति की अवधि से संबंधित सूचना को उस कार्यालय को दिया जाएगा जिससे उप-नियम (4) के अधीन उसे आहरित किया जाना है।

(6) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर भूतपूर्व राज्यपाल के द्वारा इन नियमों के प्ररूप 1 में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि आहरित रकम को जिस प्रयोजन के लिए उसे आहरित किया गया था उसी के लिए व्यय कर दिया गया है, दिया जाएगा।

(7) भूतपूर्व राज्यपाल के निजी सहायक के द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त किए जाने की पावती भी दी जाएगी।

3. उक्त नियम के नियम 15 के पश्चात् और अनुसूची 1 के पहले निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 1

[नियम 13क (6) देखें]

प्रमाण-पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आहरित रकम......(..........रु.) को 31 मार्च,..........को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मेरे निजी सहायक के रख-रखाव में व्यय कर दिया गया है। यह और स्पष्ट किया जाता है कि, जिस अवधि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है उस दौरान मैं किसी भी समय राज्यपाल के पद पर पुर्ननियुक्त नहीं

किया गया हूं या संसद् या राज्य विधानमंडल के लिए नहीं चुना गया हूं या संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया हूं ।

हस्ताक्षर :.....................

तारीख :.....................

स्थान :....................."

[फा. सं. 20/1/2014-एम एंड जी]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 343(अ), तारीख 30 मार्च, 1987 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांकों सा.का.नि. 532(अ), तारीख 29 मई, 1987; सा.का.नि. 70(अ), तारीख 1 फरवरी, 1989; सा.का.नि. 675(अ), तारीख 30 जुलाई, 1990; सा.का.नि. 64(अ), तारीख 15 फरवरी, 1991; सा.का.नि. 949(अ), तारीख 28 दिसंबर, 1992; सा.का. नि. 275(अ), तारीख 11 मार्च, 1993; सा.का.नि. 708(अ), तारीख 16 नवंबर, 1993; सा.का.नि. 475(अ), तारीख 23 मई, 1994; सा.का.नि. 538(अ) तारीख 6 जुलाई, 1995; सा.का.नि. 326(अ), तारीख 17 जून, 1997; सा.का.नि. 166(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1998; सा.का.नि. 832(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2000; सा.का.नि. 696(अ), तारीख 26 सितबंर, 2001; सा.का.नि. 781(अ), तारीख 22 नवंबर, 2002; सा.का.नि. 193(अ), तारीख 31 मार्च, 2006; सा.का.नि. 506(अ), तारीख 8 जुलाई, 2008; सा.का.नि. 87(अ), तारीख 10 फरवरी, 2009 और सा.का.नि. 288(अ), तारीख 31 मार्च, 2011 द्वारा उनका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2014

G.S.R. 518(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 13 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982, (43 of 1982), the President hereby makes the following rules further to amend the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 13 of the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, the following rule shall be inserted, namely:—

"**13A. Secretarial assistance to ex-Governor.**—(1) An ex-Governor shall be entitled to secretarial assistance in the form of one Personal Assistant who may be appointed by the ex-Governor, on reimbursable basis, on a maximum remuneration of Rs. 25,000 per month.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Personal Assistant under sub-rule (1) unless he holds a Bachelors Degree from a Recognised University or equivalent.

(3) The remuneration referred to in sub-rule (1) shall be borne by the Central Government.

(4) The amount required by the ex-Governor for the purposes of remuneration referred to in sub-rule (1) shall be drawn in the form of simple receipt.

(5) The information regarding the person appointed under sub-rule (1) and the period of such appointment thereof shall be furnished to the office from which the amount shall be drawn under sub-rule (4).

(6) At the end of each year, a certificate to the effect that the amount drawn has been expended for the purposes for which it had been drawn, shall be given by the ex-Governor in Form I of these rules.

(7) An acknowledgement from the Personal Assistant of the ex-Governor of having received the remuneration is also to be furnished.

3. After rule 15 of the said rules and before Schedule I, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM I

Form of certificate [see rule 13A(6)]

Certified that the amount of Rs.........................(Rupees ....) drawn by me during the year ending 31st March, ... has been expended on the maintenance of my Personal Assistant. It is further certified that, any time during the period for which the reimbursement was claimed, I was not re-appointed to the office of the Governor or elected to Parliament or the State Legislature or appointed to any office of profit under the Union or a State Government.

Signature :..............................

Date :..................................

Place :................................ "

[F. No. 20/1/2014-M&G]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 30th March, 1987 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 532(E), dated the 29th May, 1987; G.S.R. 70(E), dated the 1st February, 1989; G.S.R. 675(E), dated the 30th July, 1990; G.S.R. 64(E), dated the 15th February, 1991; G.S.R. 949(E), dated the 28th December, 1992; G.S.R. 275(E), dated the 11th March, 1993; G.S.R. 708(E), dated the 16th November, 1993; G.S.R. 475(E), dated the 23rd May, 1994; G.S.R. 538(E), dated the 6th July, 1995; G.S.R. 326(E), dated the 17th June, 1997, G.S.R. 166(E), dated the 1st April, 1998; G.S.R. 832(E), dated the 23rd October, 2000, G.S.R. 696(E), dated the 26th September, 2001, G.S.R. 781(E), dated the 22nd November, 2002, G.S.R. 193(E), dated the 31st March, 2006, G.S.R. 506(E), dated the 8th July, 2008, G.S.R. 87(E), dated the 10th February, 2009 and G.S.R. 288(E), dated the 31st March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.